सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

10 श्रावण, 1947 (श०)

संख्या - 386 राँची, शुक्रवार, 1 अगस्त, 2025 (ई०)

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग ।

अधिसूचना

31 जुलाई, 2025

संख्या-09/आरोप (राँची)-05/2025- 2003(09)/रा.,--भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राँची द्वारा काण्ड सं०-01/25 दिनांक-01.01.2025 धारा-7(a) भ्र०नि० (संशो०) अधिनियम-2018 में श्री मुंशी राम, तत्कालीन अंचल अधिकारी, शहर अंचल राँची को दिनांक-02.01.2025 को हिरासत में लिये जाने के कारण कार्यालय आदेश सं०-26, दिनांक-03.01.2025 द्वारा निलंबित किया गया। श्री मुंशी राम द्वारा दिनांक-06.03.2025 को न्यायिक हिरासत से मुक्त होने के पश्चात दिनांक-07.03.2025 को पूर्वाह्न में मुख्यालय में योगदान दिया गया ।

2) विभागीय अधिसूचना सं०-1732, दिनांक-07.07.2025 द्वारा योगदान स्वीकृत कर निलंबन मुक्त करते हुए योगदान समर्पित करने की तिथि दिनांक-07.03.2025 के प्रभाव से श्री मुंशी राम को पुनः निलंबित किया गया ।

3) उपायुक्त, राँची के पत्रांक-34(i)/स्था०, दिनांक-05.04.2025 द्वारा श्री राम के विरूद्ध भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राँची द्वारा दिनांक-02.01.2025 को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार करने एवं न्यायिक अभिरक्षा में भेजे जाने के कारण आरोप गठित किया गया है। उक्त आरोप पत्र में गठित आरोपों की जाँच हेतु सम्यक विचारोपरांत श्री मुंशी राम, तत्कालीन अंचल अधिकारी, शहर अंचल राँची (सम्प्रति निलंबित, मुख्यालय-प्रमण्डलीय आयुक्त का कार्यालय, कोल्हान प्रमण्डल, चाईबासा) के विरूद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया है ।

4) कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के आदेश ज्ञापांक-2640, दिनांक-14.05.2025 के आलोक में विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु श्री इकबाल आलम अंसारी (सेवानिवृत्त भा०प्र०से०), विभागीय जाँच पदाधिकारी को संचालन पदाधिकारी नामित किया जाता है ।

5) अपर समाहर्त्ता, राँची को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नामित किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

मंजू रानी स्वांसी,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 386 - 50